

### 2.1 प्रस्तावना और सारांश

सांतायना ने एक बार चेतावनी दी थी कि जो इतिहास से नहीं सीखते, वे दोबारा वही गलतियां दोहराने के लिए अभिशाप्त होते हैं। उस कारण के लिए, भारत के हाल ही के राजकोषीय इतिहास की जांच करना, अच्छा होगा, यदि देश के भावी राजकोषीय पथ के लिए सीखने हेतु सबक उपलब्ध है, हाल ही के इतिहास पर पलट के देखना अब विशेष रूप से उचित है क्योंकि आज का भारत तुलनात्मक राजकोषीय घाटे सहित (सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत बृहत आर्थिक चक्र की व्यापक रूप से ऐसी ही स्थिति में वर्ष 2000 से पहले की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में है। आज भी, उस समय की तरह, मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत के निकट है। आज, उस समय की तरह चालू खाता घाटा नियंत्रण में हैं। और आज, उस समय की तरह, अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के पथ पर बढ़ रही है।

अतः क्या यह पूछना सही है: भारत में हाल ही के राजकोषीय निष्पादन से हमने क्या सबक सीखे? वे वर्ष के बजट में तथा मध्यावधि के लिए राजकोषीय नीति पर कैसे प्रभाव डालें? यह अध्याय इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। मुख्य निष्कर्ष में ये हैं:-

पहला, मध्यावधि में, भारत को सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत अपना मध्यावधि लक्ष्य अवश्य पूरा करना चाहिए। यह भावी झटकों के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने में राजकोषीय स्थान उपलब्ध कराएगा तथा अपनी उदीयमान बाजार समीक्षा के राजकोषीय निष्पादन के निकट बढ़ेगा। यह हाल ही के वर्षों के विकास पथ को सुरक्षित रखेगा तथा राजस्व घाटों को समाप्त करने के स्वर्णिम नियम की ओर बढ़ेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि पूरे चक्र के दौरान, उधार केवल पूंजी निर्माण के लिए है।

दूसरा, इन लक्ष्यों को पूरा करने का तरीका व्यय नियंत्रण

तथा खपत से हटकर निवेश में होने वाला व्यय होगा। व्यय नियंत्रण तथा इसलिए राजकोषीय स्थान में कमी हुई जिसने 2013 के लगभग संकट की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। वर्ष 2016-17 से, जैसे ही विकास तेज होता है तथा जैसे ही जीएसटी को कार्यान्वित किया जाता है तो परिणामस्वरूप कर-उछाल, व्यय नियंत्रण के साथ यह सुनिश्चित करेगी कि मध्यावधिक लक्ष्य आराम से पूरे किए जा सकते हैं। यह उछाल इतिहास से सिद्ध होता है क्योंकि पिछले दशक में विकास में वृद्धि के दौरान, समग्र कर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 2-2.5 प्रतिशत बढ़ा है परन्तु कर की दर और आधार में कुछ महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

तीसरा, आगामी वर्ष में, त्वरित राजकोषीय समेकन के लिए दबाव कम हुआ है क्योंकि मुद्रास्फीति में आयी नाटकीय कमी तथा चालू खाता घाटा में आमूल-चूल परिवर्तन के कारण बृहत आर्थिक दबाव काफी कम हुए हैं। इन हालातों में, यदि अर्थव्यवस्था में तेजी आने के बजाय सुधार हो रहा है, तो अनु-चक्रीय नीति को दूर किया जाता चाहिए।

इसके अतिरिक्त, विकास आगे बढ़ रही अनुकूल ऋण गति को सुनिश्चित करेगा जो सरकारी क्षेत्र के ऋण भार के बारे में चिंताओं से उत्पन्न होने वाली समेकन बाध्यताओं का उपशमन करती है। इसके अतिरिक्त, बहुत से नए और आपवादित कारकों से आगामी राजकोषीय वर्ष में त्वरित राजकोषीय समेकन भी सीमित होगा, जैसे चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में केन्द्रीय बिक्री कर में कमी के लिए राज्यों की क्षतिपूर्ति बाध्यताओं को निपटाना तथा निदेश को विनम्र तरीके से बढ़ाने की जरूरत।

अंत में, फिर भी राजकोषीय विश्वसनीयता तथा मध्यावधिक उद्देश्यों के साथ निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए,

आगामी बजट को राजकोषीय तथा राजस्व घाटों, दोनों को कम करने के लिए, व्यय नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। उसी समय, निदेश हेतु सब्सिडियां कम करके व्यय की गुणवत्ता को खपत से स्थानांतरित किए जाने की जरूरत है। पेट्रोलियम पदार्थों के कराधान से उत्पन्न होने वाले कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि लघु और मध्यावधिक राजकोषीय लक्ष्यों के प्राप्त करने में सहायक होगी।

## 2.2 पृष्ठभूमि और इतिहास के सबक

भारत का बृहत आर्थिक सुधार आकस्मिक कमी के कारण नहीं है- मुद्रास्फीति आधी कम होकर आजकल लगभग 5 प्रतिशत हो गयी है, रेखांकित ग्रामीण मजदूरी वृद्धि 20 प्रतिशत अधिक से कम होकर 5 प्रतिशत से कम हो गई है और आगामी राजकोषीय वर्ष में चालू खाता घाटा स.घ.उ. के 6.7 प्रतिशत (2012-13 की तीसरी तिमाही में) कम होकर अनुमानत 1.0 प्रतिशत हो गया है।

राजकोषीय संतुष्टि के लिए शायद ही कोई स्थान है। यह समझने के लिए कि क्यों और यह महसूस करने के लिए कि कहां, भारत को जाने की जरूरत है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कहां पर रहा है तथा हमने अपने अनुभव से क्या सबक सीखे हैं। आजकल और वर्ष 2000 से पहले की भारत की स्थिति के बीच समानता इस प्रक्रिया को विशेषरूप से महत्वपूर्ण बना देती है।

केन्द्र सरकार के लिए मुख्य राजकोषीय संकेतक सारणी 9.1 में दिए गए हैं। वर्ष 2000 से पहले 2002-2007, 2008-2011 तथा 2012 के बाद से नीति के कम से कम तीन चरण पहचाने जा सकते हैं (चित्र 9.1-9.3 सकल प्रवाही राशि (चित्र 9.1), ऋण स्टॉक (चित्र 9.2) तथा व्यय गुणवत्ता (चित्र 9.3) के संदर्भ में तीन चरणों का वर्णन करते हैं।)

प्रथम चरण में, राजकोषीय निष्पादन के सभी प्रमुख उपाय आकस्मिक रूप से सुधरे हैं और तीव्र विकास से प्रेरित हुए हैं। केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा लगभग 3.2 प्रतिशत कम हुआ है जो मुख्य रूप से अन्य ऋण भिन्न प्राप्तियों में कमी (1.4 प्रतिशत) तथा शेष व्यय में कमी (1.2 प्रतिशत) के साथ कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात (3.4 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण है। विकास से कर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि हुई है किंतु

अप्रत्यक्ष कर आधार में कुछ विस्तार हुआ था तथा सेवा कर से संबंधित दरों में वृद्धि हुई थी (चित्र 9.1)। यह कर 5 प्रतिशत की दर से 52 सेवाओं पर लगाया गया था जिससे वर्ष 2002-03 में 4122 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी किंतु यह 12 प्रतिशत की दर से 98 सेवाओं के लिए बढ़ाया गया था जिससे वर्ष 2007-08 में 51301 करोड़ रु. के राजस्व की प्राप्ति हुई।

स्टॉक पक्ष पर, “ऋण गतिशील वेज” में काफी सुधार के कारण ऋण में कमी हुई है जिसे एक ओर आर्थिक वृद्धि की वास्तविक दर (जी) तथा उधार की वास्तविक लागत (आर, जो स्वयं सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा सकल घरेलू उत्पाद के अपस्फीतिकारक की मुद्रास्फीति के बीच अंतर है) तथा दूसरी ओर प्राथमिक घाटे (पीडी) के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है (चित्र 2.2)।

इस अवधि में वेज 9 प्रतिशत बढ़ा है, जिससे ऋण-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 8 प्रतिशत की कमी हुई है। इस पर ध्यान देना जरूरी है कि विकास, प्राथमिक शेष में सुधार करके प्रत्यक्ष (जी-बढ़ाकर) और अप्रत्यक्षरूप से इस सुधरते वेज का मुख्य प्रेरक था।

इस अवधि से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहले, राजकोषीय संकेतकों में लगभग सभी सुधार तीव्र विकास से उत्पन्न हुए हैं। जो इस चरण में औसतन लगभग 8 प्रतिशत है। दूसरा तथा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबकों में से एक समग्र व्ययों को अनिवर्ती करना था। वर्ष 2005-06 तक, बढ़ते विकास के अनुसार व्यय तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात घटा है तथा अनुवर्ती दो वर्षों में, यह उस समय बढ़ा जब विकास औसतन 9.5 प्रतिशत था। अन्य शब्दों में, विचलित 10 प्रतिशत तक बढ़ा है।

वर्ष 2005-06 से 2007-08 में तीव्र व्यय वृद्धि सब्सिडी भार में किसी वृद्धि से उत्पन्न नहीं हुई थी। यद्यपि, इसने मुख्यतः ब्याज के भुगतानों में उच्च वृद्धि (13.2 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि) तथा राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधारों के लिए 12वें वित्त आयोग द्वारा अभिशासित गैर योजना अनुदानों में वृद्धि प्रदर्शित की है। इस व्यय का कुछ अपरिहार्य रहा हो, परंतु परिणाम तीव्र वृद्धि के अनुकूल राजकोषीय प्रभाव तक सीमित था।

## सारणी 2.1: चुनिंदा राजकोषीय संकेतक (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1 वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि (जी) (प्रतिशत के रूप में)	3.9	8	7.1	9.5	9.6	9.3	6.7	8.6	8.9	6.7	4.5	4.7 <sup>^</sup>	5.9
2 सीपीआई मुद्रास्फीति# (प्रतिशत के रूप में)	5	4.1	4	3.7	6.8	5.9	9.2	10.6	9.5	9.5	10.2	9.5	7.2
3 [स.घ.उ. बकायादार से मुद्रास्फीति (प्रतिशत के रूप में)]	3.7	3.9	5.7	4.2	6.4	5.8	8.7	6.1	9.0	8.5	7.2	6.9	
4 बाजार मूल्य रु. लाख करोड़ पर स.घ.उ.	25.3	28.4	32.4	36.9	42.9	49.9	56.3	64.8	78.0	90.1	101.1	113.6	128.8
केन्द्र सरकार													
5 कुल राजस्व ## (अन्तरण से पहले)	12.8	14.6	13.9	12.3	13.1	14.8	12.6	11.9	13.4	11.6	12.0	12.2	12.8
6 सकल कर राजस्व	8.5	9.0	9.4	9.9	11.0	11.9	10.8	9.6	10.2	9.9	10.2	10.2	10.6
7 कुल व्यय (अन्तरण कर सहित)	18.5	18.9	17.8	16.2	16.4	17.3	18.5	18.4	18.2	17.3	16.8	16.8	16.9
मुख्य सब्सिडी	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	2.2	2.1	2.1	2.3	2.4	2.2	1.9
भोजन	1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
उर्ध्वक	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	1.4	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
पेंशनलियम	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.0	0.8	0.5
राज्यों के कर अन्तरण	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	2.8	2.5	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0
राजस्व व्यय	13.4	12.8	11.9	11.9	12.0	11.9	14.1	14.1	13.4	12.7	12.3	12.3	12.2
पूंजी व्यय	2.9	3.8	3.5	1.8	1.6	2.4	1.6	1.7	2.0	1.8	1.6	1.7	1.8
गैर सुरक्षा	2.4	3.3	2.5	0.9	0.8	1.6	0.9	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
वित्तीय कमी	5.7	4.3	3.9	4	3.3	2.5	6	6.5	4.8	5.7	4.8	4.6	4.1
राजस्व कमी	4.3	3.5	2.4	2.5	1.9	1.1	4.5	5.2	3.2	4.4	3.6	3.3	2.9
मूल कमी (पीडी)	1.1	0	0	0.4	-0.2	-0.9	2.6	3.2	1.8	2.7	1.8	1.3	0.8
11 कुल शेष देनदारियां	66.9	66	65.5	63.9	61.4	58.9	58.6	56.3	52.1	51.7	51.7	50.9	49.8
12 उधार की औसत लागत (एन) (प्रतिशत के रूप में)	7.5	7.3	7.2	7	7.3	7.6	7.6	7.5	7.4	7.8	7.7	8.3	--
13 उधार की औसत लागत (आर) (प्रतिशत के रूप में)	3.8	3.4	1.5	2.8	0.9	1.8	-1.1	1.4	-1.6	-0.7	0.5	1.4	--
14 ऋण गतिशील वेज (जी-आर-पीडी)	-1.0	4.6	5.6	6.3	8.9	8.4	5.2	4.0	8.7	4.7	2.2	2.0	--

^: अर्न्तम

एन : नाम मात्र

आर: वास्तविक

# उरजीत पटेल समिति रिपोर्ट से पिछली श्रृंखला, 2014-15 के लिए नवम्बर, 2014 तक आरबीआई और सीपीआई आंकड़े।

## जीटीआर, गैर-कर राजस्व, ऋण की प्राप्ति और अन्य प्राक्तियों का कुल राजस्व सहित।

टिप्पणी : 1. केन्द्र सरकार के लिए आंकड़े 2013-14 और 2014-15 के क्रमशः संसोधित अनुमान और बजट अनुमान।


2. सरकारी सार्वजनिक ऋण में अन्य देनदारियों (राष्ट्रीय लघु सेविंग फंड, राज्य भविष्य निधि और अन्य खातों) को मिलाकर कुल शेष देनदारियां।

3. वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. आंकड़े तथा कारक लागत पर स.घ.उ. वृद्धि संख्या सीएसओ के राष्ट्रीय खाता श्रृंखला 2004-05 से।


4. ऋण गतिशील वेज के लिए सही सूत्र  $d_{(t+1)} = p_{(t+1)} + [(r_t - g_t)/(1+g_t)] d_t$  जहाँ  $p_t$  स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा है;  $r_t$  ब्याज की वास्तविक दर है;  $g_t$  वास्तविक वृद्धि दर;  $d_t$  ऋण और स.घ.उ. का अनुपात है।

स्रोत : बजट दस्तावेज और एमओएसपीआई।

**चित्र 2.1: वित्तीय प्रवाह के संकेतक, 2002-03-2014-15 (स.घ.उ. का प्रतिशत)**




**चित्र 2.2: राजकोषीय स्टॉक संकेतक, 2002-03-2014-15 (स.घ.उ. का प्रतिशत)**



केन्द्र सरकार के लिए वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अंक : कमशः संशोधित अनुमान और बजट अनुमान। सामान्य सरकार के लिए 2012-13 और 2013-14 के लिए अंक क्रमशः संशोधित अनुमान और बजट अनुमान

**चित्र 2.3: व्यय गुणवत्ता के संकेतक 2002-03-2014-15 (स.घ.उ. का प्रतिशत)**



स्रोत : बजट प्रलेख और सीएसओ

भारतीय वित्तीय इतिहास का दूसरा और कठिन चरण लेहमान संकट के साथ 2008-09 में शुरू हुआ और चार वर्ष तक चला। इस अवधि के दौरान, पिछले छः वर्ष के सभी सकारात्मक रुझानों की पुनरावृत्ति हुई। वित्तीय घाटा लगभग 4 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ा तथा यह राजस्व में कमी (अप्रत्यक्ष करों में बढ़ी कटौती के कारण) और बढ़े हुए व्यय के बीच एक समान रहा। शुरू के वर्षों में (2008-09 से 2011-12) आर्थिक सहायता बिल के बढ़ने (सकल घरेलू उत्पाद के 1% बिन्दु तक बढ़ना); छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी (स.घ.उ. का 0.4 प्रतिशत); तथा एम.जी.एन.आर.ई. जी.ए. (स.घ.उ. का 0.3 प्रतिशत) जैसी स्थायी हकदारी वाली योजनाओं के कारण चालू व्यय (सार्वजनिक उपभोग) काफी अधिक बढ़ा। इसी बीच खर्च की गुणवत्ता प्रभावित हुई क्योंकि गैर-रक्षा पूंजीगत व्यय को विराम मिला जबकि चालू व्यय अवधि के दौरान औसत से लगभग 2% बिन्दु बढ़ा (आकृति 9.3)।

घाटे में कमी आने के बावजूद, सरकार का घाटा कम होता गया। प्राथमिक घाटे में बढ़ोतरी के कारण शुरू में आधारभूत ऋण गत्यात्मकता कम अनुकूल रही लेकिन बाद में उच्च विकास, बढ़ती हुई महंगाई दर और सम्बद्ध वित्तीय तेजी जिसने सरकार की उधार लेने की वास्तविक लागत को कम कर दिया के कारण बढ़ गई।

तीसरे और अधिकांश हाल ही के चरण में 2012-13 से 2014-15 तक, जिसमें नीचे की ओर तेज गति से विकास हुआ, वित्तीय स्थिति में अन्तिम रूप से सुधार होने लगा। लेहमान के बाद के चरण में आया वित्तीय चढ़ाव, राजस्व बढ़ोतरी और व्यय कटौती के एक समान अंशदान के कारण अन वाऊन्ड रहा जिससे घाटा कारोबार के चक्र के तुलनीय चरण में पूर्व 2000 में मौजूद स्तर के आस-पास रहा।

इसके बावजूद, अन्य मुख्य सूचकांकों में विकास, कम प्रोत्साहन दायक रहा। इस चरण के दौरान, ऋण जी.डी.पी. अनुपात, मन्दी विकास दर और रूके हुए उच्च घाटे के कारण कम होना बन्द हो गया जिसने ऋण गत्यात्मकता अन्तर को कम प्रतिकूल बना दिया। इसके अलावा गैर-रक्षा सार्वजनिक पूंजीगत व्यय आवादिक रूप से कम रहा तथा यह 2000 के पूर्व की अवधि में रिकार्ड किए गए स्तर से काफी कम था। महत्वपूर्ण यह है कि भारत को जुलाई/अगस्त, 2013 के दौरान मन्दी समतुल्य अनुभव हुआ क्योंकि यू.एस. संघीय रिजर्व के मौद्रिक रुझान को घटाने के लिए इसके निर्णय को

भारत के चालू लेखा घाटे, उच्च मुद्रास्फीति और अत्यधिक वित्तीय घाटे के साथ जोड़ने से पूंजी का देश से बाहर प्रवाह हुआ। इस घटनाक्रम को अन्तिम और अत्यन्त महत्वपूर्ण झटका लगा, अर्थात् भारत को अतिरिक्त वित्तीय स्थान बढ़ाना है ताकि समष्टि स्थिरता सुनिश्चित हो तथा भविष्य में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए बफर रखा जा सके।

## 2.3 मध्यावधि रणनीति

इस वित्तीय अन्तराल को स्थापित करने के लिए एक मध्यावधि वित्तीय रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है जोकि मूलभूत सिद्धान्तों तथा आर्थिक विरासत और विश्वसनीयता मुद्दों पर आधारित हो, ये दोनों विचारण, एक ही दिशा की ओर इंगित करते हैं।

### 2.3.1 निवेश और सुनहरा नियम

बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश का मामला, इस सर्वेक्षण में पहले उठाया गया था। मध्यावधि प्रभाव क्या है? वित्तीय नीति का सुनहरा नियम है कि सरकारें निवेश के वित्तपोषण के लिए चक्र से अधिक ऋण ले, तथा चालू व्यय के वित्तपोषण के लिए नहीं। इससे यह पता चलता है कि सरकार के वित्तीय समेकन की उपलब्धियां, आदर्श रूप से कारोबार चक्र के ऊपर होनी चाहिए तथा तदनुसार लघु अवधि उद्देश्यों का निधरण किया जाए।

हाल ही के वित्तीय इतिहास के प्रथम चरण में, भारत राजस्व घाटों की तरफ बढ़ा। किंतु 2008-09 से 2012-13 की अवधि में यह प्रक्रिया उलट गई। आगे देखते हुए और इस बजट से शुरू करते हुए सरकार को, सुनहरे नियम की ओर बढ़ने के क्रम में राजस्व घाटे में सतत् कमी लाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था को ऊंचे विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार को सहयोग मिलेगा।

### 2.3.2 विरासत/विश्वसनीयता

इन विचारणों को लागू करना, भारत की पिछली रणनीतियों की विरासत है। भारत के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और केलकर समिति (2012) ने, केन्द्र के राजकोषीय घाटे को कम करके जी.डी.पी. के 3% पर लाने के क्रम में, उद्देश्य का सिद्धान्त स्थापित किया। विश्वसनीयता बनाए रखने तथा भारत को उभरते हुए बाजार के देशों के साथ-साथ चलने के लिए, इस उद्देश्य की पालना करना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर भारत में 2013-14 में औसत सामान्य सरकार का

सामान्य घाटा भारत के निवेश की ग्रेड रेटिंग<sup>2</sup> के देशों की औसत से लगभग 4.8% बिन्दु अधिक है। राज्य स्थिर है, जबकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। इस बारे में यदि प्रत्येक नई सरकार, नियम बदलती रहेगी तो क्षणभंगुरता और अनिश्चितता हो जाएगी तथा इसके परिणाम स्वरूप राज्य और देश की समग्र विश्वसनीयता प्रभावित होगी।

तथापि यदि नियमों को परिवर्तित करने के सक्षम कारण हो तो भी दिशा निदेश की समस्या हो सकती है। वित्तीय रूप से जिम्मेदार सरकारें, अपनी कार्यावधि के शुरू के समय में बाजार को अपनी विश्वसनीयता नहीं दिखा सकती कि वे वास्तव में वित्तीय रूप से जिम्मेवार हैं। इस स्थिति में वे जब तक वे ट्रैक रिकार्ड स्थापित नहीं करें सरकारों को पूर्व समितियों की अनुपालना करनी होगी।

तदनुसार मध्यावधि वित्तीय रणनीति दो स्तम्भों पर आधारित होनी चाहिए। पहला यह कि राजकोषीय घाटे को कम करके मध्यावधि में जी.डी.पी. को 3% के स्थापित उद्देश्य पर लाना चाहिए। दूसरे पिछली दशाब्दिक के अनुभव से फायदा उठाते हुए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास व्यय पर दृढ़ नियन्त्रण पर आधारित होने चाहिए तथा यह आर्थिक सहायता को कम करके तथा सामाजिक व्यय में कटौतियां करके किया जाना चाहिए।

इसके अलावा सार्वजनिक उपभोग (आर्थिक सहायता की कटौती के माध्यम से) से सार्वजनिक निवेश किए जाने के लिए समग्र व्यय के किसी भी दिए गए स्तर के सम्बन्ध में यह दीर्घावधि मुद्रास्फिति के दबाव का शमन करता है क्योंकि यह इसकी क्षमता बढ़ाएगा तथा अर्थव्यवस्था औसत आपूर्ति क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा वित्त निवेश सम्बन्धी परिसम्पत्तियों की बिक्री, लघु अवधि में औसत मांग दबाव को बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अनुरूप होगी।

यदि व्यय नियंत्रण बनाए रखा जाता है, तो राजस्व में बढ़ोत्तरी, प्रवाह और स्टॉक वित्तीय आकलन की तरफ प्रवाहित होगी। यह प्रभाव सर्वव्यापक होना चाहिए क्योंकि विकास को बढ़ाने

तथा 2016-17 में जी.एस.टी. को लाने से सामान्य सरकार में भारत का कर जी.डी.पी. अनुपात 17.5% के चालू स्तर से बढ़कर 20% के स्तर पर पहुंच जाएगा। तदनुसार ऋण गत्यामकता भारत के पक्ष में कार्य करेगी। साधारण आकलन यह सुझाते हैं कि यदि अगले तीन वर्ष में औसत विकास 9% है और वास्तविक ब्याज दरें, व्यापक रूप से वहीं रहें तो केन्द्र सरकार का समग्र ऋण-जी.डी.पी. अनुपात (जी.डी.पी. की कुल बकाया देयताओं का अनुपात) चालू 49.8% के अनुपात की तुलना में कम होकर 2017-18 में लगभग 40% हो गया तथा सरकार के सामान्य ऋण में इसी प्रकार की गिरावट आएगी इससे भविष्य में आने वाली कमी के लिए बफर का सृजन होगा।

## 2.4 लघु अवधि मुद्दे

इस मध्यावधि पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में लघु अवधि में वित्तीय नीति की क्या स्थिति होनी चाहिए। चक्र्रीय विचारणों और वन आफ कारकों सहित कई परिप्रेक्ष्य इसका उत्तर तैयार करते हैं।

### 1. चक्र्रीय विचारण

लघु अवधि में, वित्तीय नीति, भार सहने वाली, मांग को स्थिरता प्रदान करने वाली और विकास कारक मानी जाती है। एक सामान्य स्वीकार्य नियम यह है कि मांग प्रबन्धन परिप्रेक्ष्य में सरकारों को पूर्व चक्र्रीय वित्तीय नीति चलानी चाहिए जब तक व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ओवर हीटिंग जैसे मजबूर करने वाले कारक नहीं हो। अलग से देखा जाए तो यदि लघु अवधि विकास, सम्भाव्य विकास से कम है अथवा निर्गत का वास्तविक स्तर, सम्भाव्य निर्गत से कम है तो वास्तविक वित्तीय घाटा, वित्तीय विषयों की कमियां दर्शाए बिना बढ़ सकता है।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, व्यष्टि आर्थिक दबावों का पर्याप्त रूप में दुष्प्रेरण हुआ है। तथा नए जी.डी.पी. विकास अनुमानों की परवाह नहीं करते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनः बहाली हो रही है। ये दोनों कारक, पूर्व चक्र्रीय नीति के मामले को कमजोर बनाते हैं।

<sup>2</sup> फिच रेटिंग में, उदाहरण के लिए, भारत बीबीबी (निवेश ग्रेड) श्रेणी में है

<sup>3</sup> कुल बकाया देनदारियां केन्द्र सरकार के सरकारी ऋण में "अन्य देनदारियां (इसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि तथा अन्य खाते शामिल हैं) जोड़कर प्राप्त ही जाती है।



## 2. वन आफ/नए कारक

वर्ष 2015/16 के बजट का कई वन-आफ कारकों से टकराव होगा। एक वन-आफ कारक/विंडफाल जो कि आगे के समेकन के पक्ष में है, का आधार उन कीमतों की अत्यधिक कटौती है जो कि आर्थिक सहायता के भार को जी.डी.पी. के लगभग 0.2-0.3% तक कम कर देगी। तथापि दो विरोधी कारक भी हैं।

- चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को संसाधनों के अन्तरण पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यह सम्भव है कि इन्हें लागू करने से केन्द्र को अतिरिक्त लागत चुकानी होगी।
- केन्द्र और राज्यों के बीच विश्वास में कमी के कारण जीएसटी पर वार्ता रूक गई थी जो इसलिए थी कि वैश्विक आर्थिक संकट के पश्चात् सीएसटी (केन्द्रीय बिक्री कर) 4 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रहने को केन्द्र ने राज्यों को प्रतिपूरित नहीं किया। वर्ष 2016-17 में जीएसटी शुरू करने के लिए राजनीतिक सहमति लेना इसलिए सुसाध्य हुआ कि सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए तक की सीएसटी क्षतिपूर्ति का बकाया राज्यों को प्रतिपूरित करने की पेशकश की।
- जैसे कि इस खंड अध्याय 4 में चर्चा की गई है, निजी निवेश और विकास का पुनरुद्धार करने के लिए सरकारी निवेश बढ़ाने की जबरदस्त जरूरत है।

### 2.5 निष्कर्ष

भारत में वृहद आर्थिक परिस्थितियां आकस्मिक रूप से सुधरी हैं। वृहद-आर्थिक दबाव कम हो गए हैं और स.घ.उ. के नवीनतम अनुमानों (2014-15) के अनुसार स.घ.उ. में हुई वृद्धि चीन समेत अधिकतर देशों से अधिक रही है। यदि यह राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा जाता है तो भारत की श्रम संबंधी गतिशीलता असाधारण रूप से बनी रहेगी।

साथ ही, भारत की वित्तीय स्थिति अभी उस स्तर पर है जिस पर यह उस चक्र के दस वर्ष पहले थी। दूसरे शब्दों में पिछले कुछ वर्षों में दिए गए प्रोत्साहन लगभग वापस ले लिए गए हैं। ये सभी कारक इंगित करते हैं कि अल्पावधिक संदर्भ में अधिक राजकोषीय समेकन करने के दबाव कुछ हद तक कम हो गए हैं।

लेकिन निश्चित होकर बैठ जाने की कोई वजह नहीं है। राजकोषीय अनुशासन में कमी होने से वर्ष 2013 में लगभग संकट की स्थिति पैदा हो गई थी और पूर्णतया राजकोषीय उपायों के संदर्भ में भारत की स्थिति निवेश के मामले में अन्य देशों जैसी अनुकूल नहीं है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि राजकोषीय उपायों पर ही ध्यान देने से उन अनेकानेक कारकों की स्थिति ज्ञात नहीं होती जो विभिन्न देशों में पोर्टफोलियो आवंटित करते समय निवेशकों के जोखिम विश्व पुरस्कार के गंभीर आंकलन में शामिल किए जाते हैं, भारत को सरल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा मध्यावधिक लक्ष्य अवश्य हासिल करना चाहिए। भारत को हालिया वर्षों के विकास पत्र को भी उल्ट देना चाहिए और राजस्व घाटों को समाप्त करने के स्वर्ण नियम अपनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास चक्र में उधार केवल पूंजी निर्माण के लिए होते हैं।

इस आलोक में, हालिया वित्तीय इतिहास के सबक स्पष्ट हैं। भारत के लिए मध्यावधिक राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी व्यय नियंत्रण में निहित है, जो 2005-06 और 2008-09 के बीच उछाल वाले वर्षों के दौरान ऐसा करने में असफल रहना, वृहद-आर्थिक नियंत्रण में कमी की बड़ी भूमिका और जुलाई/अगस्त, 2013 के लगभग संकट के कारण हुई।

व्यय बनाए रखने में असफलता और राजकोषीय नियंत्रण की दूसरी लागत खर्च करने की गुणवत्ता थी जिसमें सरकारी निवेश कम हुआ और सरकारी उपभोग लाभार्थी रहा। इसके बाद में, भारत के मध्यावधिक वृद्धि संभावना को प्रभावित किया।

उन प्रवृत्तियों को उलटने की जरूरत है और राष्ट्र के लोक वित्तों में स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के घाटे पर लाने के लिए लगाने की जरूरत है जैसाकि एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2012 में योजना बनाई गई है। ऐसा करने के लिए सब्सिडी घटाकर व्यय नियंत्रित करने, सरकारी उपभोग और निवेश को इन दोनों के बीच घालमेल बदलने की गुणवत्ता में सुधार लाने और केवल सरकारी निवेश के लिए भारत को उधार लेने के स्वर्णिम नियम बनाने के लिए इस बजट में ठोस कार्रवाई करने की जरूरत होगी। मौटे तौर पर सब्सिडी में कटौती और आर्थिक विनिवेश से प्राप्त लाभों सहित

राजकोषीय गुंजाइश में वृद्धि सार्वजनिक निवेश से समर्पित की जानी चाहिए।

इन उपायों के बावजूद अनेक नए और आपवादिक कारकों के चलते आगामी वित्त वर्ष में मध्यावधिक लक्ष्य प्राप्त करने में प्रगति सीमित रहेगी। यह चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन, केन्द्रीय में बिक्री कर में कमी के लिए राज्यों को देनदारियों की क्षतिपूर्ति समाशोधित करने और सन्तुलित रूप से निवेश बढ़ाने के कारण है।

तदनंतर, चालू व्यय के अधोगामी रूख और सार्वजनिक उपभोग से निवेश की तरफ चलने के जरिए खर्च सुधार की गुणवत्ता, भारत की वृद्धि, जीएसटी की शुरुआत और संबद्ध राजस्व में वृद्धि मध्यावधिक लक्ष्यों को प्राप्त करना आराम से सुनिश्चित करेगी। यह उछाल इतिहास से आश्वासित है क्योंकि पिछले दशक में वृद्धि में उछाल, बिना ठोस कर सुधार के समग्र कर स.घ.उ. अनुपात लगभग 2-2.5 प्रतिशत बढ़ने के कारण हुआ है।